कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
ऑडिट भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सेवा में

_____

_____

_____

_____

विषय: 32 सीसीटीवी कैमरों (हार्ड डिस्क एवं अन्य सहायक उपकरणों सहित) के व्यापक रखरखाव अनुबंध (Comprehensive Maintenance Contract–CMC) हेतु दिनांक 20.11.2026 से 03.09.2027 तक की अवधि के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि डी.जी.ए.सी.आर परिसर में स्थापित 32 सीसीटीवी (Including Hard Disc and other Accessories) कैमरों के लिए दिनांक 20.11.2026 से 03.09.2027 तक के लिए व्यापक रखरखाव हेतु अनुबंध किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्य के लिए अपनी न्यूनतम दरों की मोहरबंद निविदा निम्न विवरण के अनुसार भेजें:-

Name of the Office	Description	HAN/SAC	Total No. of Installed CCTV Camera	Comprehensive Maintenance Contract (CMC) Amount in Rs. (Including GST)
O/o the DGA (CE), New Delhi-110002	2 MP Full HD WDRIR network Dome Camera 30 mtr (Cp Plus)	8525	22	
	4 MP Full HD WDRIR network Bullet Camera 30 mtr (Cp Plus)	8525	10	
	Total		**32**	

2. यह उल्लेख किया जाता है कि प्रथमतः (Prima facie) उपर्युक्त सीसीटीवी के अन्य Accessories के अलावा निम्न वस्तुएं भी Comprehensive Maintenance Contract में समाहित मानी जाएंगी: -

(1) D- Link 8 Port Gigabit PoE Switch-8 PoE+2 Uplink Port 250m.

(2) D- Link 4 Port Gigabit PoE Switch-4 PoE+2 Uplink Port 250m.

(3) D- Link 24 Ports Switch All Port Full Giga.

(4) D- Link Steel Frame Wall Mount Rack 6U

(5) Steel Frame Wall Mount Rack 4U

(6) Cat 6A D-Link LAN Cable

(7) NVR Installation and Software Configuration Charge

(8) Cable Laying with PVC Pipe Laying Charges

(9) WD 6 TB Hard Disc

(10) PVC Box × 4.5×4.5 Project

(11) Box Power Extension

(12) RJ 45 Connecter

(13) PVC Pipe Conduit with T/ Bend and Accessories ISI Marks

(14) CP Plus Pro 32 Channel 4K 2SATA H.265+ Embedded NVR

फर्म के लिए नियम एवं शर्तें :-

1. अनुबंध की अवधि के प्रारंभ में सभी 32 सीसीटीवी कैमरे चालू एवं कार्यशील स्थिति में फर्म को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर सभी कैमरे चालू एवं कार्यशील स्थिति में ही वापस लिए जाएंगे।

2. शिकायत प्राप्त होने पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर, फर्म द्वारा तत्काल कैमरा इंजीनियर को इस कार्यालय में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। शिकायत का निवारण उसी दिन अथवा अगले दिन दोपहर तक अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, फर्म द्वारा 24×7 उपलब्ध शिकायत/हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सके।

3. मुहरबंद निविदाएँ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (जी.डी. अनुभाग) को संबोधित करते हुए, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), डी.जी.ए.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को प्रेषित की जानी चाहिए। निविदादाताओं को अपनी निविदाओं के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान किए गए कार्यों से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र (Experience Certificates) तथा कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्रों (Completion Certificates) की प्रतियाँ भी संलग्न करनी होंगी।

निविदाएँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16.11.2026 को अपराह्न 12:00 बजे तक है। निविदाएँ दिनांक 16.11.2026 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जाएँगी।

4. अनुबंध प्रदान किए जाने से पूर्व सफल बोलीदाता को अनुबंध मूल्य की 3% (तीन प्रतिशत) राशि के बराबर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security), सावधि जमा रसीद (FDR) के रूप में, PAO, AG (Audit), Delhi के पक्ष में जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा न किए जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता की निविदा निरस्त की जा सकती है। कार्य-निष्पादन प्रतिभूति अनुबंध की अवधि के

अतिरिक्त दो माह अर्थात कुल 14 माह की अवधि तक वैध होनी चाहिए। अनुबंध अवधि के संतोषजनक समापन तथा अनुबंध की सभी शर्तों के अनुपालन के उपरांत कार्य-निष्पादन प्रतिभूति बिना किसी ब्याज के संबंधित फर्म को वापस कर दी जाएगी।

5. CMC हेतु चयनित फर्म की कार्य-निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) अनुबंध की संतोषजनक समाप्ति तक कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी।

6. फर्म द्वारा असंतोषजनक सेवा प्रदान किए जाने की स्थिति में, कार्यालय द्वारा एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, असंतोषजनक सेवा अथवा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में नियमानुसार देय राशि के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित नियमों एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार फर्म द्वारा जमा की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) भी जब्त की जा सकती है।

7. किसी भी विवाद की स्थिति में, इस कार्यालय के निदेशक (प्रशासन) अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

8. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से आयकर की कटौती, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रचलित दरों एवं लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।

9. फर्म द्वारा अपनी दरें जी.एस.टी. सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. फर्म को सलाह दी जाती है कि वह निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व स्थापित सीसीटीवी कैमरों के स्थान का निरीक्षण एवं परीक्षण कर ले तथा कार्य की प्रकृति, सीमा एवं दायरे और निष्पादन संबंधी शर्तों के संबंध में स्थल एवं उसके आसपास की परिस्थितियों का स्वयं आकलन कर पूर्णतः संतुष्ट हो ले। निविदा प्रस्तुत करने के उपरांत इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. यह कार्यालय संपूर्ण निविदा अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। चयनित एजेंसी/फर्म/कंपनी अपनी निविदा में उद्धृत दरों एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगी।

12. भुगतान तभी किया जाएगा, जब सीसीटीवी प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही हो तथा प्राप्त शिकायतों का उचित एवं संतोषजनक निवारण कर दिया गया हो।

13. संविदा की अवधि दिनांक 20.11.2026 से 03.09.2027 तक होगी तथा **भुगतान प्रत्येक तिमाही के आधार पर किया जाएगा।**

14. कार्य के दौरान कार्यालय संपत्तियों को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई फर्म को अपने खर्च पर करनी होगी।

15. कार्य के निष्पादन के दौरान आवश्यक सभी सुरक्षा उपायों एवं सावधानियों को अपनाने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक के साथ होने वाली दुर्घटना, चोट अथवा किसी प्रकार की क्षति तथा उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी परिणामी देयता के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

16. कार्य पूर्ण होने के उपरांत, फर्म द्वारा कार्यस्थल से समस्त मलबा, तार, टेप आदि हटाकर स्थल की समुचित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्य के दौरान किए गए सभी छिद्रों को भरा जाएगा तथा संबंधित सतह की मरम्मत एवं फिनिशिंग मौजूदा फिनिश के अनुरूप अथवा प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार की जाएगी।

17. कार्यादेश की स्वीकृति के उपरांत, फर्म को अपने उन अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम एवं संपर्क विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे, जो कार्य के निष्पादन के संबंध में इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से निर्देश प्राप्त करने तथा उनके अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

18. व्यापक रखरखाव अनुबंध (Comprehensive Maintenance Contract–CMC) की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की खराबियों/दोषों का निवारण तथा आवश्यक पुर्जों आदि को बदलने का कार्य संबंधित फर्म द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

19. फर्म द्वारा कार्यालय समय (प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक) के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किए बिना सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निवारण सुनिश्चित किया जाएगा।

20. फर्म को कार्यस्थल पर कार्य के सुचारु एवं उचित निष्पादन हेतु आवश्यक सभी उपकरण, औजार एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी। इस संबंध में कार्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

21. शिकायतों का निवारण तभी पूर्ण एवं संतोषजनक माना जाएगा, जब कार्यस्थल पर तैनात संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिकायत के निवारण से पूर्णतः संतुष्ट होंगे।

22. इस कार्यालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित फर्म को मांगी गई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।

23. कार्यालय में आवश्यकता पड़ने पर सीसीटीवी कैमरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य संबंधित फर्म द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरण एवं श्रम की व्यवस्था फर्म द्वारा स्वयं की जाएगी तथा इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

24. फर्म द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय भवन में प्रवेश हेतु पहचान-पत्र जारी करवाने के उद्देश्य से संबंधित कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र (Police Verification Certificate) इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।